पटना में दिनांक–05 अगस्त, 2016 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1.	भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रू० राज्य योजना से व्यय की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

2.	बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एम०आई०डी०एच० के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2016–17 में 47.7075 करोड़ (सैंतालीस करोड़ सत्तर लाख पचहत्तर हजार) रूपये सहायतानुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

3.	पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015–16 के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि ₹ 2312.00 लाख (तेईस करोड़ बारह लाख रू०) तथा समानुपाति राज्यांश ₹ 1728.05 लाख (सत्रह करोड़ अठाईस लाख पाँच सौ रू०) यानि कुल ₹ 4040.05 लाख (चालीस करोड़ चालीस लाख पाँच सौ रू०) मात्र के योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

4.	वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक कृषि रोड मैप में हरियाली मिशन के तहत 20 वन प्रमंडलों के विभिन्न नहर तटों पर संलग्न परिशिष्ट–1 के रूप में गठित कार्य योजनाओं के अनुरूप कुल 627.50 कि०मी० की लम्बाई में कुल 928260 वर्षाकालीन वृक्षारोपण हेतु नहर तट फार्म योजनान्तर्गत कुल ₹ 2636.76 लाख (छब्बीस करोड़ छत्तीस लाख छिहत्तर हजार ₹) के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 1022.43 लाख (दस करोड़ बाईस लाख तेतालीस हजार ₹) मात्र व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	4.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

5.	वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत बहुआरा चौक–मुसापुर–हरप्रसाद पथ के कि०मी० 0.00 से 14.475 तक (कुल 14.475 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, Utility Shifting कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 2896.76 लाख (अठाईस करोड़ छियानवे लाख छिहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

6.	पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत छपरा–माँझी –दरौली –गुठनी पथ के कि०मी० 0.00 से 17.08 (कुल 17.08 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सिमेन्ट क्रंकीट (PQC) कार्य, विविध कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP कार्य कुल 2973.80 लाख (उनत्तीस करोड़ तेहत्तर लाख अस्सी हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

7.	पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत सोनपुर–दरिहारा पथ के कि०मी० 22.00 से 39.40 (कुल 18.40 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, विविध कार्य, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3914.92 लाख (उनचालीस करोड़ चौदह लाख बेरानवे हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

8.	पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत सोनपुर–दरिहारा पथ के कि०मी० 0.00 से 21.00 (कुल 21.00 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, विविध कार्य हार्ड शोल्डरिंग कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4081.27 लाख (चालीस करोड़ एकासी लाख सत्ताईस हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

9. वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत रसूलपुर चौक–चाँदपुर–भरथीपुर–हसनसराय पथ के कि०मी० 0 से 10.21 (कुल 10.21 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, विविध कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, Utility Shifting कार्य, भू अर्जन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3095.55 लाख (तीस करोड़ पनचानवे लाख पचपन हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

10. पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत गरखा–चिरान्द पथ के कि०मी० 0.00 से 11.21 (कुल 11.21 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट (PQC) कार्य, विविध कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य,क्रॉस ड्रेन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 3139.83 लाख (इकत्तीस करोड़ उनचालीस लाख तेरासी हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

11. वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत बिदुपुर–राजापाकर–बेलकुन्डा–सराय पथ के कि०मी० 0.00 से 19. 85 (कुल 19.85 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, विविध कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, Utility shifting कार्य, भू–अर्जन कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4283. 82 लाख (बेयालीस करोड़ तेरासी लाख बेरासी हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

12. राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना को महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल के रूप में पुनर्गठित करने एवं राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना तथा पूर्ववर्ती गंगा पुल परियोजना कार्य प्रमंडल, गुलजारबाग के सम्पत्ति एवं दायित्वों का हस्तान्तरण करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

विधि विभाग

13. न्यायमंडल मुजफ्फरपुर के अधीन मुजफ्फरपुर (पश्चिम) अनुमंडल न्यायालय में 03 (तीन) सब–जज के लिए वर्ग–III कोटि के अराजपत्रित कुल 12 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

विधि विभाग

14. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में विभिन्न संवर्गों के कुल 334 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

15. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन के लिए विधेयक की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

16. श्री सुधीर कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद सम्प्रति अधीक्षक उत्पाद, कैमूर को सेवा से बर्खास्त का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 16. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

17. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत बिहार उत्पाद सेवा के अधीक्षक उत्पाद, वेतनमान PB-2(9300-34800)+ग्रेड पे–4800/–रू० से सहायक आयुक्त उत्पाद, वेतनमान PB-2 (9300-34800) + ग्रेड पे– 5400/–रू० के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. राज्य के विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में भण्डारपाल के मूल स्वीकृत पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं नियमित रूप से कार्यरत भण्डारपालों जिन्हे उक्त मौलिक पदों के लिए विहित योग्यता प्राप्त हो, को 01.01.1996 से वैचारिक रूप से रू० 5500–9000/–का वेतनमान एवं 01.04.1997 के प्रभाव से उक्त वेतनमान का आर्थिक लाभ प्रदान करने एवं तद्नुसार वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. राज्य के विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के वैसे सहायकों को जो विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता सहित नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हो, को 01.01.1996 के प्रभाव से अपुनरीक्षित 5500–9000/–का वेतनमान स्वीकृत करते हुए 01.04.1997 के प्रभाव से उक्त वेतनमान का आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए तद्नुसार वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

20. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में स्वीकृत पद के अन्तर्गत नियोजित 22,587 माध्यमिक शिक्षक, 11,159 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 1,886 पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन भुगतान हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल–8,85,67,69,638/–(आठ अरब पचासी करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार छः सौ अड़तीस) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं 8,85,67,69,638/–(आठ अरब पचासी करोड़ सड़सठ लाख उनहत्तर हजार छः सौ अड़तीस) सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

21. डा० (श्रीमती) लीला सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्यय केन्द्र, गोह, औरंगाबाद को 5 वर्षो से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — **21. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

22. डा० निखिल कुमार रोहतगी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, इमामगंज, गया सम्प्रति निलंबित को दिनांक–16.02.1996 से दिनांक–15.05.2002 तक लगातार पाँच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — **22. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

23. राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत महाविद्यालयों, अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालयों में स्वच्छ एवं पारदर्शी नामांकन के अनुश्रवण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में गठित नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार हेतु विभिन्न कोटि के कुल 9 (नौ) पदों के सृजन की स्वीकृति। — **23. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

24. डा० नवीन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाराचट्टी, गया सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली को सेवा से बर्खासत करने का प्रस्ताव। — 24. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

25. वित्तीय वर्ष 2016–17 में विक्रम ट्रौमा सेन्टर के संचालन हेतु 26 विशेषज्ञ चिकित्सकों, 6 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 34 विभिन्न गैर–चिकित्सकीय पदों अर्थात् कुल 66 पदों के सृजन एवं वाह्य स्रोत से पुरूष कक्ष सेवक, महिला कक्ष सेवक, एम्बुलेंस चालक एवं स्वीपर के 3–3, स्ट्रेचर बीयरर और सुरक्षा कर्मी के 6–6 अर्थात् कुल 24 पदों की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

26. डा० देवेन्द्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैजलपुर असरगंज, मुंगेर को 5 वर्षों से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 26. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

27. डा० राघवेन्द्र झा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कामेश्वरनगर, समस्तीपुर के लगातार पाँच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 27. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

28. डा० (श्रीमती) मंजूनाथ, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा, समस्तीपुर को लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 28. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

29. डा० ब्रज किशोर प्रसाद (डा० बी०के० प्रसाद) चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहन, समस्तीपुर के लगातार पाँच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 29. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों को डायनेमिक ए०सी०पी० की सुविधा प्रदान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। **30.** **स्वीकृत।**

विधि विभाग

31. व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज में 24 कोर्ट भवन (G+5) के निर्माण के निमित्त कुल रू० 33,63,00,000/–(तैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख) रूपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। **31.** **स्वीकृत।**

विधि विभाग

32. व्यवहार न्यायालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) में 15 कोर्ट भवन (G+5) एवं 180 कैदी हाजत भवन का निर्माण के निमित्त कुल रू० 28,45,00,000/–(अठाईस करोड़ पैतालीस लाख) रूपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। **32.** **स्वीकृत।**

विधि विभाग

33. व्यवहार न्यायालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बगहा में 15 कोर्ट भवन (G+5), 180 कैदी हाजत एवं एमेनिटी भवन का निर्माण के निमित्त कुल रू० 30,10,00,000/–(तीस करोड़ दस लाख) रूपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। **33.** **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

34. डा० (श्रीमती) जयश्री सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा, समस्तीपुर दिनांक–17.05.2003 से लगभग पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। **34.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

35. शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक परियोजना "Enhancing Teacher Effectivness in Bihar" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 8 नए अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों तथा 5 नए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹ 18193.00 लाख (एक सौ इक्यासी करोड़ तिरानवे लाख) रूपये की स्वीकृति के संबंध में। **35.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

36. शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक परियोजना "Enhancing Teacher Effectivness in Bihar" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 185 प्रखंड संसाधन केन्द्रों में अध्ययन केन्द्र के निर्माण हेतु प्रति अध्ययन केन्द्र प्राक्कलित राशि ₹ 87,99,400.00 (सतासी लाख निन्यानवे हजार चार सौ) रूपये की दर से कुल प्राक्कलित राशि ₹ 16278.89 लाख (एक सौ बासठ करोड़ अठहत्तर लाख नवासी हजार) रूपये की स्वीकृति के संबंध में। — **36. स्वीकृत।**

विधि विभाग

37. व्यवहार न्यायालय, सहरसा में 10 कोर्ट भवन (G+5) के निर्माण के निमित्त कुल रू० 22,21,00,000/–(बाईस करोड़ इक्कीस लाख) रूपये की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। — **37. स्वीकृत।**

विधि विभाग

38. राज्य में न्याय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के निमित्त वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए स्वीकृत कार्य योजना हेतु संभावित व्यय के अनुरूप कुल 65.00 (पैसठ) करोड़ रूपये व्यय की स्वीकृति। — **38. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

39. बाढ़ के मद्देनजर गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 315.00 करोड़ (तीन अरब पंद्रह करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — **39. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

40. मंत्री/राज्य मंत्री एवं उपमंत्री के विभागीय कार्यालय कक्ष एवं आवासीय कार्यालय के सुसज्जन के लिए मानक का निर्धारण एवं उसके रख–रखाव के संबंध में। — **40. स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

41. श्री नागेश्वर शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय :–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सं०–73/13 में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(x) यथा संशोधित नियम 14(xi) के अन्तर्गत दण्ड अधिरोपण के संबंध में। — **41. स्वीकृत।**